

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/ 34925/पी-2/2022-23

दिनांक : 22.06.2022

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, मण्डल परिक्षेत्र
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक

विषय:- पेंशन प्रकरण निस्तारण हेतु पेंशन कुलक ऑनलाईन प्रेषण बाबत ।
प्रसंग:- निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक : पं.5(311)
निपेवि/नियम/2019/पार्ट II/1895-H दिनांक 20.06.2022

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2022 एवं उसके पश्चात् समस्त नवीन पेंशन प्रकरणों को निस्तारण हेतु विभागीय की वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे । अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित कर नवीन पेंशन प्रकरण ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषण हेतु पाबंद करावें ।

पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संशोधित (Revision) पेंशन प्रकरण पूर्व की भांति ऑफलाईन ही प्रेषित किये जायेंगे ।

संलग्न:- प्रासंगिक पत्र की प्रति

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/ 34925/पी-2/2022-23

दिनांक : 22.06.2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, बीकानेर
2. उप निदेशक, प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
3. उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
5. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

लेखाधिकारी,
22/06/22

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर



राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687

वेबसाईट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in



क्रमांक :- प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/

दिनांक :-


परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्ष,

पेंशन कुलक के ऑनलाईन/सरलीकरण हेतु वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में विकसित किये गये मॉड्यूल से ही 01.07.2022 से सभी नवीन पेंशन प्रकरण स्वीकार किये जायेंगे एवं ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही निस्तारित किये जायेंगे। अतः कृपया सभी विभागाध्यक्ष 01.07.2022 एवं उसके पश्चात समस्त नवीन पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग की वेबसाईट www.pension.raj.nic.in पर ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन ही भिजवाना सुनिश्चित कराने का श्रम करें। साथ ही निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पेंशन प्रकरणों को भी उपरोक्तानुसार ऑनलाईन ही भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।

ऑनलाईन पेंशन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक जानकारी यूजर मनुअल (User Manual) के रूप में इस विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में तकनीकी प्रशिक्षण सभी विभागों को पेंशन निदेशालय द्वारा दिया जा चुका है।

पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संशोधित (Revision) पेंशन प्रकरण पूर्व की भाँति ऑफलाईन ही भिजवाये जाये।


(संजय सोलंकी)
निदेशक

क्रमांक :- प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/1895 - H
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 20-06-2

1. शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विकी/केआर/सी वेबसाईट
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/ (मुख्यालय)/ (नियम) कार्यालय हाजा।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
5. उप महानिदेशक/वरिष्ठ उपनिदेशक एन.आई.सी.।
6. उप निदेशक कम्प्यूटर शाखा कार्या. हाजा।
7. निजी सचिव निदेशक पेंशन कार्या. हाजा।


अतिरिक्त निदेशक (नियम)